पत्रांक –3 /एम0–117/2011 सा०प्र०..13338........../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक...9.11.....2021

विषयः– जनप्रतिनिधियों के पत्र का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन एवं विभाग के पदाधिकारियों द्वारा पत्र प्राप्ति की सूचना एवं कृत कार्रवाई की जानकारी निर्धारित समयावधि में जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि जनप्रतिनिधि होने के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में सांसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें संविधान के अधीन महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करने के क्रम में विभिन्न विभागों एवं जिला प्रशासन से व्यक्तिगत सम्पर्क करने अथवा पत्राचार करने की आवश्यकता होती है।

2. उपर्युक्त विषय के संदर्भ में पूर्व में भी सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–8841 दिनांक–02.06.2012 द्वारा निम्नवत् विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं–

1. संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों के साथ कार्यव्यवहार में निम्नांकित दो मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए–

   (i) सरकारी कर्मचारियों/पदाधिकारियों को संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों के साथ विनम्रता तथा शिष्टाचार का बर्ताव करना चाहिए।

   (ii) संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना एवं उन पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए।

2. प्रत्येक कर्मचारी/पदाधिकारी को संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों को उनके संवैधानिक कार्यों के सम्पादन में यथासंभव सहायता करनी चाहिए, किन्तु किसी सदस्य के अनुरोध अथवा सुझाव को मानने में असमर्थता की स्थिति में अपनी असमर्थता के कारणों को उन्हें विनम्रतापूर्वक स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए।

3. प्रत्येक कर्मचारी/पदाधिकारी को संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों को उनसे मिलने के लिए आने पर अन्य आगंतुकों के स्थान पर प्राथमिकता देनी चाहिए। बिना समय लिये हुए मिलने हेतु आये सदस्य से यदि अपरिहार्य कारणों से तुरंत मिलना संभव नहीं हो सके तो उन्हें विनम्रतापूर्वक स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए एवं उनके परामर्श से मिलने का समय शीघ्र निर्धारित करना चाहिए। मिलने हेतु प्रतीक्षा अवधि में सदस्यों के सुविधाजनक ढंग से बैठने हेतु स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. संसद सदस्य तथा राज्य विधान मंडल के सदस्य के मिलने आने पर कर्मचारी/पदाधिकारी को अपने स्थान से उठकर उनका स्वागत करना चाहिए एवं उनके जाते समय भी उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए विदा करना चाहिए। विनम्र व्यवहार का अपना प्रतीकात्मक मूल्य होता है, अतः कर्मचारियों/पदाधिकारियों को संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार में अत्यधिक सचेत एवं शिष्ट होना चाहिए।

5. संसद सदस्यों की स्थिति को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किये गये पूर्वता अधिपत्र (वारंट ऑफ प्रेसीडेन्स) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और उन्हें सचिवों आदि से ऊपर रखा गया है। अतः यदि राज्य में आयोजित राजकीय समारोह अथवा बैठकों में संसद सदस्य आमंत्रित किये जाते हैं तो उनके बैठने के स्थान राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश आदि के तुरंत बाद एवं सचिवों से आगे रखा जाना चाहिए। जहाँ समारोहों/बैठकों में संसद सदस्य एवं राज्य विधान मंडल के सदस्य दोनों आमंत्रित हों वहाँ राज्य विधान मंडल के सदस्यों का स्थान संसद सदस्यों के तुरंत बाद रखा जाना चाहिए।

समारोंहों/बैठकों में आमंत्रित उक्त सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। देर से आने अथवा उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में भी उनके लिए आरक्षित सीटों को समारोह/बैठक के अंत तक आरक्षित रखा जाना चाहिए, भले ही वे खाली क्यों न रह जायें।

6. (i) संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों को सरकारी सूचना प्राप्त करने हेतु संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री से अनुरोध करना चाहिए। तथापि, यदि संसद सदस्य तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा विभागाध्यक्षों अथवा जिला के अधिकारियों से सरकारी सूचना प्राप्त करने हेतु सीधे पत्राचार किया जाता है, तो ऐसे पत्रों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए तथा उन्हें अपने विभाग से संबंधित ऐसी सूचना, जिसे दिया जाना उनके प्राधिकार में हो, लिखित रूप में शीघ्रता से उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। ऐसी सूचनायें जो गोपनीय हों अथवा जिन्हें उपलब्ध कराना अत्यधिक श्रम–साध्य हो, उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकने की स्थिति में सदस्य को विनम्रतापूर्वक सूचित किया जाना चाहिए।

(ii) सदस्यों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजते हुए उन्हें एक अंतरिम उत्तर तत्काल दिया जाना चाहिए।

(iii) सदस्यों द्वारा सरकारी सूचनायें मौखिक रूप से माँगे जाने की स्थिति में ऐसी अतिसामान्य सूचनायें, जिनमें नीतिविषय अथवा सरकार की कोई प्रतिबद्धता समाहित न हो, विनम्रतापूर्वक दी जा सकती है।

3. बाद में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–16593 दिनांक–28.12.2017, 1215 दिनांक–25.01.2018 एवं 9423 दिनांक–25.08.2021 द्वारा भी उक्त विषय के संदर्भ में समय–समय पर अनुदेश निर्गत किये गये हैं। पुनः संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक–183 दिनांक–19.02.2021 द्वारा भी कतिपय मार्गदर्शन निर्गत किये गये हैं। परन्तु उक्त वर्णित दिशा–निर्देशों के उपरांत भी कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्रों के संदर्भ में उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई नहीं की जा रही है।

4. अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–8841 दिनांक–02.06.2012, 16593 दिनांक–28.12.2017, 1215 दिनांक–25.01.2018, 9423 दिनांक–25.08.2021 एवं संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक–183 दिनांक–19.02.2021 की छायाप्रति संलग्न करते हुए पुनः निदेश दिया जाता है कि वर्णित परिपत्रों में निहित निदेशों का दृढ़ता से अनुपालन करने हेतु सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय। निदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी समुचित जाँच की जाय तथा दोषी पाये गये पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

अनुः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

पत्र संख्या–सं0का0–1/विविध–609/2004(पार्ट)–183/

बिहार सरकार

संसदीय कार्य विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
पुलिस महानिदेशक, बिहार,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/जिला पुलिस अधीक्षक/रेल पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक–19.2.2021

248/08.04.1999
137–04.03.2006
199/23.03.2006
869/11.09.2006
862/15.05.2007
1293/27.7.2007
655/10.05.2010
147/20.01.2011
364/22.02.2012
386/25.03.2013 के साथ भारत सरकार का पत्रांक 11013/4/11-Estt(A) दिनांक 01.12.2011

विषय : प्रशासन तथा संसद सदस्यों एवं राज्य के विधायकों के बीच सरकारी कार्य–व्यवहार के समुचित प्रक्रिया का पालन करने के क्रम में सांसदों/विधायकों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात, दूरभाष पर वार्ता, सौजन्यता प्रदर्शन तथा उनके पत्रों का ससमय उत्तर देने एवं उनके साथ होनेवाली बैठकों की सूचना तथा बैठक के स्थगन (यदि हो) की सूचना देने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संसदीय कार्य विभाग द्वारा समय–समय पर उपान्त में अंकित निर्गत पत्रों की ओर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि जन प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात हेतु समय देने, पत्रों का उत्तर देने, दूरभाष पर वार्ता करने तथा बातचीत में शिष्टता बरतने एवं उनके साथ होनेवाली बैठकों की सूचना ससमय निश्चित रूप से देना आवश्यक है। इस विषय पर पूर्व में दिये गये निदेशों के बावजूद जन प्रतिनिधियों से शिकायत प्राप्त हो रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निदेशों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।

2. आप अवगत हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोकतंत्र के स्तंभ हैं तथा इनकी भूमिका अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। इन्हें विधायी कार्यों के निष्पादन तथा जन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों से सूचनाओं एवं सहयोग की आवश्यकता होती है।

3. अतः, विचारोपरान्त निम्नांकित निदेशों को दुहराया जाता है :–

(i) सरकारी सेवकों को संसद और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को शिष्टता और सम्मान दर्शाना चाहिए;

(ii) सरकारी कर्मचारियों को संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्यों से दूरभाष/मोबाईल पर भी वर्ता के समय शिष्टता और सम्मान दर्शाना चाहिए;

(iii) सरकारी कर्मचारियों को संसद और राज्य विधान मण्डल के सदस्य जो कहना चाहते हैं उसे धैर्यपूर्वक सुन कर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिये। ऐसा करते समय सरकारी कर्मचारी को हमेशा उसके अपने उत्तम निर्णय और नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए;

(iv) संसद सदस्य/राज्य विधान मण्डल के सदस्य के साथ निर्धारित किए गए मिलने के समय में किसी परिवर्तन को शीघ्रता से सूचित किया जाना चाहिए जिससे किसी सम्भावित असुविधा से बचा जा सके। उनसे परामर्श करके, मिलने का नया समय तय किया जाए।

(v) अधिकारी, उनसे मिलने आ रहे किसी संसद सदस्य/विधान मण्डल के सदस्य के साथ पूर्णतः शिष्टाचार से पेश आए और उनके आने और विदा होने के समय खड़ा हो जाए। संसद सदस्यों को लाने के लिए बन्दोबस्त किए जा सकते हैं जब वे भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार के किसी अधिकारी से पूर्व में समय तय कर लेने के पश्चात् दौरा करते हैं। इन कार्यालयों में इन सदस्यों के वाहन प्रवेश की अनुमति की व्यवस्था, सुरक्षा अपेक्षाओं/प्रतिबंधों के अधीन की जाए;

(vi) सरकारी कार्यालय द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोह में उस क्षेत्र के संसद सदस्य को निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाए। सार्वजनिक समारोहों में उनके लिए समुचित एवं आरामदायक बैठने की व्यवस्था की जाए तथा इस तथ्य के मद्देनजर कि भारत सरकार के वरीयता क्रम में सचिव स्तर के अधिकारियों से ऊपर दिखाई दें एवं मंच पर उनके लिए बैठने की समुचित व्यवस्था हो। निर्वाचन क्षेत्र के समारोहों के लिए छपाए गए निमंत्रण पत्रों एवं अखबारों के विज्ञापनों में उस निर्वाचन क्षेत्र के उन सदस्यों का नाम शामिल होना चाहिए जिन्होंने समारोहों में भाग लेने की पुष्टि की हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी संसद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ हो तो संसद सदस्य को उन सभी जिलों, जो उसके निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से हैं के सभी समारोहों में निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए।

(vii) जहां सरकार द्वारा बुलाई जानेवाली बैठक में संसद/विधान मंडल सदस्यों को भाग लेना हो तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि दिनांक, समय, बैठक के स्थान इत्यादि के सम्बन्ध में इन्हें समय रहते नोटिस दिया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि व्योरा दिए जाने का कोई भी मामला चाहे वह कितना भी गौण क्यों न हो, न छूट पाए। यह भी विशेषतः सुनिश्चित किया जाए कि –

(क) सार्वजनिक बैठकों/समारोहों के सम्बन्ध में सूचना शीघ्रतम पत्राचार साधनों द्वारा सदस्यों को भेजी जानी चाहिए ताकि वे समय पर पहुंच सकें,

(ख) सदस्य द्वारा सूचना की पावती की पुष्टि, सम्बन्धित अधिकारी/पदाधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, तथा

(ग) सार्वजनिक बैठकों के स्थगन (यदि हो) की सूचना सभी प्रतिनिधियों को निश्चित रूप से ससमय दी जाय।

(viii) संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के पत्रों की पावती तत्परता से अवश्य दी जानी चाहिए तथा कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के संगत उपबन्धों के अनुसार जवाब समुचित स्तर पर शीघ्रता से भेजे जाने चाहिए।

(ix) स्थानीय महत्व के सम्बन्ध में सूचना या आंकड़े मांगने पर अवश्य ही संसद/विधान मंडल सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाय। दी गई सूचना में, उठाए गए बिन्दुओं का विशिष्ट रूप से जवाब दिया जाना चाहिए। सूचना की एक सॉफ्ट प्रति सदस्य को ई–मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है।

(x) यदि संसद/विधान मंडल सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचना नहीं दी जा सकती अथवा सूचना भेजने के संबंध में मना किया जाना हो, तो उच्च प्राधिकारी से अनुदेश लिए जाने चाहिए और जवाब में सूचना नहीं प्रस्तुत करने के कारणों को स्पष्ट कर दिया जाय;

(xi) जहां भी सदस्य का पत्र अंग्रेजी में है और जवाब राजभाषा अधिनियम, 1963 की शर्तों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार हिन्दी में दिया जाना अपेक्षित है, गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के सदस्यों की सुविधा के लिए एक अंग्रेजी अनुवाद जवाब के साथ भेजा जाना चाहिए।

(xii) संसदीय समितियों/विधान मण्डलीय समितियों के संदर्भों पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए;

(xiii) अधिकारियों की अनुपस्थिति में, उनके लिए छोड़े गए दूरभाष संदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और सम्बन्धित संसद सदस्य/राज्य विधान मण्डल सदस्य से जल्द–से–जल्द सम्पर्क करना चाहिए। कार्यालय मोबाईल टेलीफोनों पर आने वाले एस.एम.एस. और ई–मेलों का भी तुरन्त और वरीयता के आधार पर जवाब दिया जाना चाहिए;

(xiv) सभी विभाग/कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में सांसदों/विधायकों की शक्तियाँ, सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों द्वारा स्पष्ट और पर्याप्त रूप से परिभाषित की जाएं; और

(xv) एक सरकारी कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत मामले को प्रायोजित करने के लिए संसद सदस्य/विधायक के पास नहीं जाना चाहिए चूंकि अन्य वाह्य प्रभाव या गैर सरकारी या राजनैतिक प्रभाव लाने का प्रयास या प्रभाव डालना, आचरण नियमावली जैसा कि अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम–18, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम–20 के अन्तर्गत निषिद्ध है।

4. सभी विभागों/कार्यालयों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त मूल सिद्धान्तों और अनुदेशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित दिशा–निर्देशों के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जाएगा।

अनुरोध है कि इन अनुदेशों को अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों में परिचालित किया जाय एवं इसके कार्यान्वयन की समयबद्ध समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन संसदीय कार्य विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

19/2/21

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
अपर मुख्य सचिव।

त्रिपुरारि शरण भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
TRIPURARI SHARAN, I.A.S
Chief Secretary

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना-800 015
Government of Bihar
Main Secretariat, Patna-800 015
Tel.: 0612-2215804, Fax: 0612-2217085
E-mail : cs-bihar@nic.in

पत्रांक– 3/एम0–117/2011 सा0प्र0..9423../
दिनांक.25...अगस्त, 2021

सेवा में

<u>सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव</u>
<u>सभी विभागाध्यक्ष</u>
<u>पुलिस महानिदेशक</u>
<u>सभी प्रमण्डलीय आयुक्त</u>
सभी जिला पदाधिकारी

विषयः– राजकीय शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि समारोहों में संसद एवं विधान मंडल के माननीय सदस्यों को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

जन प्रतिनिधि होने के फलस्वरूप संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों का लोकतंत्रिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–8841 दिनांक–20.06.2012 द्वारा सांसदों/विधान मंडल सदस्यों के साथ शिष्टतापूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार करने तथा राज्य में आयोजित राजकीय समारोह अथवा बैठकों में संसद एवं विधान मंडल के सदस्यों का स्थान आरक्षित रखने एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–16593 दिनांक–28.12.2017 द्वारा सांसदों/विधान मंडल सदस्यों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का सम्मानजनक सामाधान किये जाने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत किये गये हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–1215 दिनांक–25.01.2018 द्वारा भी राज्य में आयोजित राजकीय समारोह/माननीय मुख्यमंत्री या अन्य महानुभावों के द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि के समारोह में स्थानीय सांसदों एवं विधान मंडल सदस्यों को निश्चित रूप से आमंत्रित किये जाने तथा उनके लिए सम्मानजनक स्थान आरक्षित किये जाने हेतु निदेश संसूचित है।

पुनः संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक–523 दिनांक–27.07.2021 द्वारा प्रशासन एवं सांसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के बीच सरकारी कार्य व्यवहार में उचित प्रक्रियाओं के अनुपालन के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया है।

परन्तु कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि राज्य में आयोजित राजकीय समारोह/माननीय मुख्यमंत्री या अन्य महानुभावों के द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि के समारोह में स्थानीय सांसदों एवं विधान मंडल सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया तथा सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया है।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि राज्य में आयोजित राजकीय समारोह/माननीय मुख्यमंत्री या अन्य महानुभावों के द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि के समारोह में स्थानीय सांसद एवं विधान मंडल के सदस्यों को भी निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाना है तथा उनके लिए सम्मानजनक स्थान आरक्षित किया जाना है। उक्त से अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पदाधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

25/8/21
(त्रिपुरारि शरण)

अंजनी कुमार सिंह, भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
Anjani Kumar Singh, I.A.S.
Chief Secretary

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Main Secretariat, Patna - 800 015
Tel. No. : 0612-2215804 (O), Fax : 0612-2217085
E-mail : anjani41@yahoo.com

पत्रांक– 3/एम0–117/2011सा0प्र0....1215..../
दिनांक....25....जनवरी, 2018

सेवा में

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषयः– **माननीय जन प्रतिनिधियों को राजकीय शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि के समारोहों में आमंत्रित किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

जन प्रतिनिधि होने के फलस्वरूप संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों का लोकतंत्रिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। सांसदों/विधान मंडल सदस्यों के साथ शिष्टतापूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक– 8841 दिनांक– 20.06.2012 द्वारा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का सम्मानजनक सामाधान किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक– 16593 दिनांक– 28.12.2017 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत किये गये हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक– 8841 दिनांक– 20.06.2012 की कंडिका–5 में राज्य में आयोजित राजकीय समारोह अथवा बैठकों में संसद एवं विधान मंडल के सदस्यों का स्थान आरक्षित रखने के संदर्भ में विशिष्ट निर्देश दिये गये हैं। परन्तु राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि राज्य में आयोजित राजकीय समारोह/माननीय मुख्यमंत्री या अन्य महानुभावों के द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि के समारोह में स्थानीय सांसदों एवं विधान मंडल सदस्यों को कतिपय मामलों में आमंत्रित नहीं किया गया तथा सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया।

अतः निदेश दिया जाता है कि राज्य में आयोजित होने वाले उपरोक्त प्रकार के राजकीय समारोह/शिलान्यास या उद्घाटन समारोह आदि में स्थानीय सांसद एवं विधान मंडल के सदस्यों को भी निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाय तथा सम्मानजनक स्थान आरक्षित किया जाय।

विश्वासभाजन,

25/1/18

(अंजनी कुमार सिंह)

पत्र संख्या–18/ई0गो0–03–01/2017 (खण्ड–2)सा0प्र0 16593/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी

दिनांकः– 28, दिसम्बर, 2017

विषय– **माननीय जन–प्रतिनिधियों (सदस्य, बिहार विधान सभा/विधान परिषद आदि) द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का सम्मानजनक समाधान किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार यह कहना है कि माननीय जन–प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को यह शिकायत की जाती है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को क्षेत्रीय पदाधिकारियों (प्रखण्ड/अंचलस्तरीय सहित) के समक्ष सीधे/दूरभाष के माध्यम से रखते हैं तो उन पदाधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग नहीं किया जाता है। यह भी देखने में आया है कि वे दूरभाष भी नहीं उठाते हैं और न समस्या के निराकरण पर समुचित कार्रवाई करते हैं।

2. सरकार ऐसे मामले में गम्भीर है। सफल लोक तंत्र के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय पदाधिकारी जन–प्रतिनिधियों द्वारा उठायी जाने वाली समस्याओं पर नियमानुसार समुचित एवं शीघ्र कार्रवाई करते हुए मामले का निष्पादन करें। यह भी आवश्यक है कि जन–प्रतिनिधियों के फोन को अवश्य उठावें (अटेन्ड करें)। फोन के समय अन्य कार्यो की व्यस्तता के कारण उसे अटेन्ड करना संभव न हो तो बाद में स्वंय अपने स्तर से उनसे दूरभाष पर वार्ता कर लें।

3. उपर्युक्त निर्देशों का कृपया सख्ती से अनुपालन किया जाय तथा अपने अधीनस्थों को भी अनुपालन कराने हेतु आवश्यक निदेश जारी करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/– 28/12/17
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–18/ई0गो0–03–01/2017 (खण्ड–2)सा0प्र0 16593/ पटना,15 दिनांक– 28, दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि– श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव, माननीया सदस्य, बिहार विधान परिषद/श्री भाई विरेन्द्र, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा/संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय (प्रभारी ई–कॉम्पलाईंस डैस बोर्ड)/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी प्रशखाओं को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/– 28/12/17
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक –3/एम०– 117 /2011सा० 8841/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 20.06. 2012

विषयः– **प्रशासन तथा संसद एवं राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के बीच सरकारी काम–काज की उचित कार्यविधि के अनुपालन और सांसदों/विधायकों/पार्षदों के साथ शिष्टतापूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **विभागीय परिपत्र संख्या – 3124 दिनांक 24.03.56**

"	परिपत्र संख्या	–	3125 दिनांक 24.03.56
"	परिपत्र संख्या	–	8396 दिनांक 28.06.57
"	परिपत्र संख्या	–	12912 दिनांक 10.09.62
"	परिपत्र संख्या	–	5177 दिनांक 20.04.63
"	परिपत्र संख्या	–	7017 दिनांक 15.06.64
"	परिपत्र संख्या	–	10115 दिनांक 25.08.64
"	परिपत्र संख्या	–	2032 दिनांक 11.02.67
"	परिपत्र संख्या	–	14299 दिनांक 25.09.67
"	परिपत्र संख्या	–	8701 दिनांक 17.05.75

महोदय,

निदेशानुसार नियुक्ति विभाग एवं कार्मिक विभाग के उपर्युक्त प्रासंगिक परिपत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सदस्यों का जनप्रतिनिधि होने के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें संविधान के अधीन महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करने के क्रम विभिन्न विभागों से सूचना प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क करने अथवा पत्राचार करने की आवश्यकता होती है। इस विषय में संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों/पदाधिकारियों के बीच सम्बन्धों को शासित करने सम्बन्धी कुछ सामान्य सिद्धान्त एवं प्रथायें पूर्व से निरूपित हैं, जिनके सम्बन्ध में समय–समय पर उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा अनुदेश निर्गत किये

गये हैं। इस सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 25/19/64 स्थापना(क), दिनांक– 08.11.74 द्वारा मार्गदर्शन हेतु विस्तृत अनुदेश जारी किया गया है, जिसे परिपत्र संख्या–8701 दिनांक 17.05.75 द्वारा, उक्त अनुदेशों के पूर्णतः अनुपालन हेतु, परिचालित किया जा चुका है। तथापि उक्त अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निम्नवत् बिन्दुवार ध्यान आकृष्ट कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही है–

(1) संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों के साथ कार्यव्यवहार में निम्नांकित दो मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए– (i) सरकारी कर्मचारियों/पदाधिकारियों को संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों के साथ विनम्रता तथा शिष्टाचार का बर्त्ताव करना चाहिए तथा (ii) संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना एवं उन पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए।

(2) प्रत्येक कर्मचारी/पदाधिकारी को संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों को उनके संवैधानिक कार्यों के सम्पादन में भरसक सहायता करनी चाहिए, किन्तु किसी सदस्य के अनुरोध अथवा सुझाव को मानने में असमर्थता की स्थिति में अपनी असमर्थता के कारणों को उन्हें विनम्रतापूर्वक स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए।

(3) प्रत्येक कर्मचारी/पदाधिकारी को संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों को उनसे मिलने के लिए आने पर अन्य आगंतुकों के स्थान पर प्राथमिकता देनी चाहिए। बिना समय लिये हुए मिलने हेतु आये सदस्य से यदि अपरिहार्य कारणों से तुरंत मिलना सम्भव नहीं हो सके तो उन्हें विनम्रतापूर्वक स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए एवं उनके परामर्श से मिलने का समय शीघ्र निर्धारित करना चाहिए। मिलने हेतु प्रतीक्षा अवधि में सदस्यों के सुविधाजनक ढंग से बैठने हेतु स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(4) संसद सदस्य तथा राज्य विधान मंडल के सदस्य के मिलने आने पर कर्मचारी/पदाधिकारी को अपने स्थान से उठकर उनका स्वागत करना चाहिए एवं उनके जाते समय भी उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए विदा करना चाहिए। विनम्र व्यवहार का अपना प्रतीकात्मक मूल्य होता है, अतः कर्मचारियों/पदाधिकारियों को संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार में अत्यधिक सचेत एवं शिष्ट होना चाहिए।

(5) संसद सदस्यों की स्थिति को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किये गये पूर्वता अधिपत्र (वारंट ऑफ प्रेसीडेन्स) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और उन्हें सचिवों आदि से ऊपर रखा गया है। अतः यदि राज्य में आयोजित राजकीय समारोह अथवा बैठकों में संसद सदस्य आमंत्रित किये जाते हैं तो उनके बैठने का स्थान राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश आदि के तुरंत बाद एवं सचिवों से आगे रखा जाना चाहिए। जहाँ समारोहों/बैठकों में संसद सदस्य एवं राज्य विधान मंडल के सदस्य दोनों आमंत्रित हों वहाँ राज्य विधान मंडल के सदस्यों का स्थान संसद सदस्यों के तुरत बाद रखा जाना चाहिए।

समारोहों / बैठकों में आमंत्रित उक्त सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। देर से आने अथवा उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में भी उनके लिए आरक्षित सीटों को समारोह / बैठक के अंत तक आरक्षित रखा जाना चाहिए, भले ही वे खाली क्यों न रह जायें।

(6) (i) संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों को सरकारी सूचना प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग के प्रभारी मंत्री से अनुरोध करना चाहिए। तथापि, यदि संसद सदस्य तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा विभागाध्यक्षों अथवा जिला के अधिकारियों से सरकारी सूचना प्राप्त करने हेतु सीधे पत्राचार किया जाता है, तो ऐसे पत्रों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए तथा उन्हें अपने विभाग से सम्बन्धित ऐसी सूचना, जिसे दिया जाना उनके प्राधिकार में हो, लिखित रूप में शीघ्रता से उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। ऐसी सूचनायें जो गोपनीय हों अथवा जिन्हें उपलब्ध कराना अत्यधिक श्रम–साध्य हो, उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकने की स्थिति में सदस्य को विनम्रतापूर्वक सूचित किया जाना चाहिए।

(ii) सदस्यों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजते हुए उन्हें एक अन्तरिम उत्तर तत्काल दिया जाना चाहिए।

(iii) सदस्यों द्वारा सरकारी सूचनायें मौखिक रूप से माँगे जाने की स्थिति में ऐसी अतिसामान्य सूचनायें, जिनमें नीतिविषय अथवा सरकार की कोई प्रतिबद्धता समाहित न हो, विनम्रतापूर्वक दी जा सकती है।

अनुरोध है कि इसे अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों के ध्यान में लाया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

20.6.12

(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।